न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 1/2022 **दायर दिनांकः 14.03.2022**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी, अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

पार्टी नं. 1

1. मूलीबाई पत्नि स्व0 रविकान्त जाति मीणा

2. रविकान्त मृतक पुत्र मगनलाल

2/1 पवन आयु 18 वर्ष पुत्र रविकान्त

2/2 धारासिंह आयु 16 वर्ष पुत्र रविकान्त

3. कामराज आयु 35 वर्ष पुत्र मगनलाल

4. पार्वती आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 मगनलाल जाति मीणा निवासीगण जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0

पार्टी नं. 2

1. निर्मल कुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी सहरोद

अप्रार्थीगण

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी पुलिस थाना अटरू जिला बारां

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

अप्रार्थी :— पार्टी न. 1 :— विद्वान अभिभाषक मोहनलाल सुमन, महेन्द्र सिंह हाडा

पार्टी न. 2 :— विद्वान अभिभाषक महावीर प्रसाद नागर, भीमराज नागर

आदेश

दिनाकः 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 CRPC का इस आशय का पेश किया है कि वाक्यात हाजा मामला इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2022 को फरियादी श्री निर्मल पुत्र कस्तुरचन्द जाति धाकड निवासी सहरोद ने उपस्थित थाना होकर एक परिवाद इस आश्य का पेश किया कि वाके ग्राम एवं माल जिरोद प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 160 खसरा नं. 105 रकबा

2.44 है0, खसरा न. 108/721 रकबा 0.05 है0 मौजा जिरोद स्थित है। जिसमें प्रार्थी द्वारा फसल सरसों की बो रखी थी उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में कई रिपोर्ट दे चुका हूं फिर भी प्रार्थी की जमीन पर मुली बाई पत्नि रविकान्त मीणा व मगन पुत्र जगन्नाथ मीणा द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त जमीन का सीमा ज्ञान कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया था उक्त व्यक्ति प्रभावशाली एवं खतरनाक पृवती का है जो प्रार्थी को भूमि पर कब्जा करना चाहते है अगर प्राथ्री जमीन पर गया तो आवश्य ही झगडा होने की संभावना है`सी सिंति में श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भूमि का धारा 145 सीआरपीसी की आर्यवाही कर कब्जे ाज लिया जावे ताकि झगडा ना हो शान्ति बनी रहे। व मेरे द्वारा बोई गई सरसों की फसल मुझे दिलाया जावे या राजकोष में जमा की जावे। इत्यादि

उक्त परिवाद की जांच की गई दौराने जांच बयान फरियादी के लिये गये। रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो माल जिरोद में आराजी खाता संख्या 160 ख0नं0 105 रकबा 2.44 है0 व ख0नं0 108/721 रकबा 0.05 है0 स्थित है उक्त भूमि के संबंध में पूर्व भी परिवादी द्वारा परिवाद देने पर अपरिवादी पक्ष को 19.06.2021 को धारा 151 सीआरपीसी में गिरप्तार कर श्रीमान के समक्ष पेश किया गया था जो 25–25 हजार के जमानत मुचलकों पर 6 माह के लिए पाबन्द किया गया था तथा उक्त भूमि के संबंध में परिवादी द्वारा मुकदमा नं0 214/21 धारा 143, 447, 427 भादस दिनांक 01.08.2021 को दर्ज कराया था इसी भूमि को लेक अपरविादी द्वारा परिवादी के खिलाफ प्रकरण संख्या 292/21 धारा 143, 447, 427, 354 भदस व धारा 3 एस सी/एस टी एक्ट दर्ज कराया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। सम्पूर्ण हालात को देखते हुये श्रीमान से निवेदन हे कि उक्त भूमि के मामले को लेकर कभी भी दोनों पक्ष आपस में झगडा कर हत्या जैसा संगीन अपराध घटीत होने की पूर्ण सम्भावना है इस बाबत रोजनामचा आम ने नकल रपट का भी अंकन किया गया। अतः उक्त भूमि का रिसिवर नियुक्त करने की कृपा करें।

परिवाद दर्ज कर दौराने जांच परिवाद में बयान फरियादी निर्मल कुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी सहरोद लिये गये रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। फरियादी ने बयान दिये कि मैं ग्राम सहरोद का रहने वाला हूँ प्राथी के कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम जिरोद के खाता संख्या 160 ख0नं0 105 की 2.44 है0 एवं ख0नं0 108/721 की 0.05 है0 स्थित है जो स्वयं के खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी द्वारा सरसों की फसल बो रखी है उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी पूर्व में भी कई रिपोर्ट दे चुका है एवं कई बार सीमाज्ञान कर कब्जा प्राप्त कर चुका

हैं परन्तु मूलीबाई पत्नि रविकान्त मीणा एवं मगन पुत्र जगन्नाथ मीणा द्वारा मेरे खाते की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्त व्यक्ति प्रभावशाली एवं खतरनाक है। प्रार्थी उक्त भूमि के संबंध में पूव्र में भी थाना अटरू में धारा 447 का प्रकरण दर्ज करवाया था। अगर प्रार्थी उक्त जमीन पर गया तो अवश्य ही झगडा होने की संभावना है। अतः उक्त भूमि की रिसीवरी की जावे तथा मेरे द्वारा बोई गई सरसों की फसल को मुझे कटवाया जावे या राजकोष में जमा की जावे।

2. थाना अधिकारी अटरू से प्राप्त इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम जिरोद की उक्त विवादित आराजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य शांतीभंग होने की प्रबल संभावना के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इस्तगासा के आधार पर प्रकरण स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित ग्राम जिरोद के खाता संख्या 160 ख0नं0 105 की 2.44 है0 एवं ख0नं0 108/721 की 0.05 है0 से संबंधित होने और पूर्व में दर्ज मुकदमा नं0 214/21 धारा 143, 447, 427 एवं प्रकरण संख्या 292/21 धारा 143, 447, 427, 354 भदस व धारा 3 एस सी/एस टी एक्ट, दर्ज इस्तगासा दिनांक 19.06.2021 अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) व 151 सीआरपीसी एवं थानाधिकारी अटरू व पटवारी पटवार हल्का जिरोद के मौखिक बयानो के आधार पर शान्ति भंग होने की संभावना के मध्य नजर धारा 145 (1) सीआरपीसी का प्राथमिक आदेश जारी कर पार्टी नं. 1 एवं पार्टी न. 2 की तलबी जर्ये नोटिस धारा 145 (3) सीआरपीसी के अनुसार की गई। पार्टी नं. 1 की ओर से श्री मोहनलाल सुमन एड़0 एवं पार्टी नं. 2 की ओर से श्री महावीर प्रसाद नागर द्वारा एवं द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

3. पार्टी न. 1 द्वारा जबाब इस्तगासा पेश कर कथन किया कि दिनांक 08.03.2022 को जो परिवाद फरियादी निर्मल कुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड़ निवासी सहरोद द्वारा थाना अटरू में पेश किया था वह मनगढ़ंत झूठे तथ्यों पर पेश किया था और उक्त उनवान में वर्णित आराजी खाता संख्या 160 का ख.नं. 105 का रकबा 2.44 हे0 तथा ख.नं. 108/721 का रकबा 0.05 हे0 भूमि मौजा जिरोद को पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से अप्रार्थी क्रम 1, 2 मूली बाई तथा मगन ही काश्त करते चले आ रहे है। परिवादी निर्मल कुमार द्वारा पेश परिवाद तथा इस्तगासा 145 सी.आर.पी.सी. में भी कब्जा अप्रार्थीगण का होना ही स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण पिछले 50 वर्षों से लगातार शान्तिपूर्वक बिना किसी व्यवधान के उक्त उनवान की कार्यवाही में वर्णित आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। इस वर्ष भी दोनों अप्रार्थीगण द्वारा फसल सरसो बोई

थी फसल को अप्रार्थीगण द्वारा ही काटकर तैयार करके घर लाये है। अप्रार्थीगण के खिलाफ जो भी अभी तक थाना अटरू में परिवाद दिये गये हैं वह सभी परिवाद बाद जांच (अनुसंधान) झूठे पाये गये है। परिवादी निर्मल कुमार द्वारा दर्ज कराई गई सभी रिपोर्ट जांच में झूठी पाने की वजह से एफ. आई. आर. नं. 214/2021 अन्तर्गत धारा 143, 447, 427 भा.द.सं. में अदम बकु में जांच रिपोर्ट की जांच में पाये जाने पर एफ.आर. दी गई है तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज कराई गई एफ. आई. आर. नं. 292/2021 अन्तर्गत धारा 143, 447, 354 व धारा 3 एस.सी., एस.टी. एक्ट का मुकदमा अनुसंधान में प्रमाणित पाये जाने पर उसमें आरोप पत्र परिवादी के खिलाफ न्यायालय में पेश किया गया है जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। सन् 2021 में तथा सन् 2022 में अभी तक अप्रार्थीगण तथा परिवादी के मध्य आराजी के कब्जे काश्त को लेकर आगे से अप्रार्थीगण ने शान्ति भंग करने का प्रयास तक भी नही किया जबकि परिवादी निर्मल उक्त कार्यवाही में दर्ज आराजी पर कानून से नहीं अपने बाहुबल से तथा राजनैतिक प्रभाव से प्रशासन पर दबाव बनाकर आराजी पर कब्जा करना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पिछले 50 वर्षों से कभी भी विवादित नही रही है लेकिन अपनी Power का दुरुपयोग करके परिवादी निर्मल कुमार द्वारा यह परिवाद माननीय न्यायालय में पेश करवाया गया है जिसमें थाना अटक द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा 145 सी. आर. पी.सी. में निर्मल कुमार को पक्षकार नही बनाया गया है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय अटरू मै नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 89 91, 188 आर. टी. एक्ट का पेश कर रखा है जिसका वाद संख्या 07/2021 है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि खातेदार मांगी बाई ने सम्वत् 2034 में अप्रार्थी मगनलाल से अनाज एवं रुपये उक्त विवादित आराजी पर लेकर कब्जा अप्रार्थी मगनलाल को सम्भलाया था तथा मांगी बाई ने 5 रुपये के स्टाम्प पर दिनांक 20.07.1996 को लिखकर दिया था जिसमें आराजी पर कब्जा सम्भलाने तथा बेचान करने की बात भी स्वीकार की थी और पूर्व में भी माननीय न्यायालय में पूर्व खातेदार मांगी बाई के खिलाफ अप्रार्थी मगनलाल ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थी मगनलाल को खातेदार मांगी बाई के विरुद्ध स्थगन भी प्राप्त हुआ था लेकिन वाद लम्बित खातेदार मांगी बाई द्वारा अप्रार्थी मगनलाल को आराजी खाते बंधवाने के आश्वासन से अप्रार्थी मगनलाल ने वह वाद खारिज करवा लिया। मांगी बाई की वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाकर परिवादी निर्मल कुमार द्वारा फर्जी वसीयत नामा अपने नाम निष्पादित करवा लिया जबकि 50 वर्षों से जमीन अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है और दिनांक 22.06.2020 को परिवादी ने अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाकर

आराजी को विवादित बनाना चाहता है। विवादित आराजी से सम्बन्धित वाद बाबत घोषणा खातेदारी का माननीय न्यायालय में जैरकार था जो प्रारम्भिक स्टेज पर ही था जिसको भी परिवादी निर्मल कुमार द्वारा जिला कलेक्टर बारां के कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश करके पत्रावली बारां तलब करवादी गई है। परिवादी येन–केन प्रकरण बिना न्यायालय के निर्णय से लेकिन अपनी शक्ति के प्रयोग से राजनैतिक दबाव से आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है, आराजी को हड़पना चाहता है। इस वजह से प्रार्थना पत्र 145 सी.आर.पी.सी. जो थाना अटरू द्वारा पेश किया गया है वह मेंटेनेबल नही है काबिल निरस्तनीय है। मृतक माँगी बाई पुत्री घांसीलाल ने अपने जीवनकाल में निर्मल कुमार के पक्ष में ग्राम सहरोद की आराजी कुल किता 10 का कुल रकबा 8.90 हैक्टर का दान पत्र किया था। अगर उसको आराजी ख.न. 105 का रकबा 2.44 हैक्टर व ख.न. 108/1721 का रकबा 0.05 है. कुल रकबा 2.49 हैक्टर आराजी निर्मल कुमार को देनी होती तो वह उसी समय दान भी कर सकती थी। लेकिन माँगी बाई की मृत्यु के बाद में निर्मल कुमार ने फर्जी वसीयतनामा आराजी रकबा 2.49 है. का फर्जी वसीयत नामा के आधार पर खाते दर्ज करवाई है और अब कब्जा करना चाहता है। जबकि कब्जा 2.49 हैक्टर पर मगनलाल का ही है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब कार्यवाही अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन करते है कि थाना अटरू द्वारा पेश उक्त उनवान की 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही (Droop) निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

4. पार्टी न. 2 द्वारा जबाब इस्तगासा पेश कर कथन किया कि परिवादी के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम व माल जिरोद तह. अटरू जिला बारां (राज.) की खाता संख्या 160 की खसरा न. 105 का रकबा 2.44 है, खसरा न. 108/721 का रकबा 0.05 है. कुल किता 2 का रकबा 2.49 है0 आराजी स्थित है। मगनलाल बनाम निर्मल कुमार का एक वाद माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय बारां के यहाँ पर विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.04.2022 आदेश हेतु नियत है। ग्राम व माल जिरोद की खाता संख्या 160 की कुल किता 2 की 2.49 है. आराजी का दिनांक 25.06.2021 को तहसीलदार महोदय अटरू व हल्का कानूनगो द्वारा मौका देखा गया था जिसकी मौका रिपोर्ट बनाकर दिनांक 25.06.2021 को ही मौके पर कब्जा परिवादी निर्मल कुमार को संभला दिया गया था। परिवादी के साथ अपरिवादीगण ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में परिवादी से लड़ाई झगड़ा कर परिवादी के साथ मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट परिवादी द्वारा पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस थाना अटरू द्वारा अपरिवादी पक्ष को दिनांक 19.06.2021 को 107, 116(3) व 151 CRPC में गिरफ्तार कर

25,000–25,000 रुपये के जमानत मुचलको पर पाबंद करवाया था जिसके बाद उक्त आराजी पर परिवादी निर्मल कुमार ने फसल सोयाबीन की बुवाई कर दी थी। जिसको अपरिवादीगण ने हांक जोत कर परिवादी की फसल को नष्ट कर दिया था। जब परिवादी ने अपरिवादीगण को फसल नष्ट करने से रोकना चाहा तो अपरिवादीगण ने मिलकर परिवादी के साथ लड़ाई–झगडा व मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट परिवादी ने अपरिवादीगण के विरुद्ध पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस थाना अटरू द्वारा अपरिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 01.08.2021 को धारा 143, 427, 447 IPC में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी जिसका FIR न. 214/2021 है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय अटरू में विचाराधीन है। उक्त आराजी पर परिवादी जब सरसों की फसल की बुवाई करने लगा तो अपरिवादीगण परिवादी के खेत पर आ गये और परिवादी के साथ मारपीट करने लगे तथा दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट परिवादी द्वारा पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस थाना अटरू द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि परिवादी के विरुद्ध ही धारा 143, 447, 427, 354 भा.द.स. व धारा 3 [SC] ST एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद परिवादी द्वारा अपने खेत में सरसों की फसल की बुवाई कर दी गई। उक्त आराजी पर जब सरसों की फसल पूर्ण रूप से पककर तैयार हो गई थी तो परिवादी द्वारा फसल सरसों को काटते समय परिवादी व अपरिवादीगण के मध्य लड़ाई–झगडा न हो इसके लिए परिवादी ने पुलिस थाना अटरू में दिनांक 04.03.2022 को सूचना दी कि पुलिस थाना अटरू मुझे सरसों काटते समय पुलिस प्रशासन उपलब्ध करवाये ताकि परिवादी व अपरिवादीगण के मध्य शान्ति बनी रहे लेकिन पुलिस थाना अटरू द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उसके बाद ही दिनांक 13.03.2022 को अपरिवादीगण ने मिलकर परिवादी के द्वारा बोई गई फसल सरसों को हार्वेस्टर से काटना शुरू कर दिया जिसको परिवादी ने रोकना चाहा तो अपरिवादीगण ने मिलकर परिवादी के साथ लड़ाई–झगड़ा कर परिवादी को जान से मारना चाहा तो परिवादी ने भागकर अपनी जान बचाई और परिवादी के खेत से सरसों की फसल को काटकर अपरिवादीगण अपने साथ ट्रेक्टर में भरकर ले गये। जिसकी रिपोर्ट परिवादी द्वारा दिनांक 14.03.2022 को पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि परिवादी व अपरिवादीगण के मध्य शान्ति बनी रहे और उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो। परिवादी व अपरिवादीगण के मध्य उक्त आराजी को लेकर काफी

विवाद हो चूका है। यदि इन दोनों पक्षों को झगडे से नहीं रोका गया तो दोनों पक्षों में से किसी भी समय कोई भी पक्ष की मृत्यु कारित हो सकती है या फिर कोई भी गंभीर अपराध घटित हो सकता है। इसलिए दोनों पक्ष के मध्य शान्ति बनाये रखने के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त आराजी पर तहसीलदार महोदय अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान की सेवा में परीवादि की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम व माल जिरोद की खाता संख्या 160 की कुल किता 2 की 2.49 है. आराजी पर श्रीमान तहसीलदार महोदय को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

5. प्रकरण में विवाद के समय विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जेदार का निर्धारण करने के लिए धारा 145(4) सीआरपीसी. के अधीन तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। मौका मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 18.08.2022 को स्वयं विवादित भू स्थल पर जाकर पडौसी काश्तकार एवं स्थानिय ग्रामिणों की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार कर पेश की जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुताबिक पटवारी हल्का जिरोद की रिपोर्ट प्रकरण में ग्राम जिरोद की खाता संख्या 160 का खसरा नम्बर 105 रकबा 2.44 हे0 व खसरा नम्बर 108/721 रकबा 0.05 हे0 का मौका निरीक्षण किया गया। मुताबिक पड़ौसी खातेदारों व ग्रामवासियान जिरोद व सहरोद के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कभी निर्मल नागर का रहता है तो कभी मगनलाल का रहता है तथा यह भी बताया गया कि पूर्व में कब्जा मांगीबाई जाति ब्राहम्ण का भी था। अतः उक्त विवादित भूमि पर वर्तमान कब्जे की स्थिति एवं पूर्व कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

6. प्रार्टी नं0 1 द्वारा साक्ष्यगवाह के अन्तर्गत p1W1 मूलीबाई पत्नि स्व. रविकान्त जाति मीणा निवासी जीरोद ने सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम एवं माल जीरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) के खाता संख्या 160 के ख0नं0 105 का रकबा 2.44 है0, ख0नं0 108/721 का रकबा 0.05 है0 आराजी पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मेरे ससूर मगनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी जीरोद ही शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन मेरे ससूर वृद्ध हो चुके थे और बीमार रहते थे। इसलिए उक्त आराजी को मैं स्वयं बिना किसी व्यवधान के शान्ती पूर्वक काश्त कर रही हूँ और आज से 20 दिन पूर्व मेरे ससूर मगनलाल जी की मृत्यु हो चुकी हैं। इस वर्ष भी मैने फसल सरसो की बुवाई की थी जिसको भी काट कर तैयार करके में घर

लायी थी। मै शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि उपरोक्त आराजी की खातेदार मांगीबाई पुत्री घांसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सहरोद ने सम्वत् 2034 में मेरे ससूर मगनलाल से अनाज एवं रूपये लेकर उपरोक्त आराजी पर कब्जा सम्भलाया था तथा मांगीबाई ने 5 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 10.07.1996 को लिखकर दिया था जिसमें आराजी पर कब्जा सम्मलाने तथा बेचान करने की बात भी स्वीकार की थी और मेरे ससूर मगनलाल ने पूर्व में खातेदार मांगीबाई के विरूद्ध माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मेरे ससूर मगनलाल को खातेदार मांगीबाई के विरूद्ध स्थगन भी प्राप्त हुआ था लेकिन बाद लम्बित खातेदार मांगीबाई द्वारा मेरे ससूर मगनलाल को आराजी खाते बन्धवाने का आश्वासन देने से मेरे ससूर मगनलाल ने वह बाद खारिज करवा लिया उसके बाद निर्मल नागर पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी सहरोद ने मांगीबाई के वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर एक फर्जी वसीयत नामा अपने नाम निष्पादित करवा लिया जबकि 50 वर्षो से जमीन पर मेरे ससूर मंगनलाल के कब्जे काश्त में हैं और दिनांक 22.06.2020 को निर्मल कुमार ने अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाकर आराजी को विवादित बना लिया। जिसका एक वाद एवं प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में मेरे ससूर मगनलाल ने बउनवान मगनलाल बनाम निर्मल वगै0 वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, आर0टी0एक्ट0 के तहत प्रस्तुत कर रखा है। जिस वाद संख्या 07/2021 है। जिसे भी निर्मल कुमार ने प्रारम्भिक स्टेज पर ही जिल कलेक्टर महोदय बारां के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली बारां तलब करवा ली गई हैं। वर्णित आराजी पिछले 5 वर्षो मे कभी भी विवादित नहीं रही लेकिन निर्मल कुमार द्वारा राजनैतिक प्रभाव रूपयों के बलबूते पर प्रशासन को दबाव मे लेकर अपने शक्ति का दुरूपयोग करत हुये आराजी को हड़पने की गरज से आराजी पर कब्जा प्राप्त करना चाहता है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं। निर्मल कुमार ने अभी तक थाना मूलीबाई अटरू में जो परिवाद दिये है वह सभी परिवाद दौराने अनुसंधान झूठे पाये गये हैं। निर्मल कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में पुलिस थाना अटरू द्वारा एफ.आई.आर. नं. 214/2021 अन्तर्गत धारा 143, 447, 427 भा० द०स० मे अदम बकु में जांच रिपोर्ट की जांच में पाये जाने पर एफ.आर. नं. 47/2021 दी गई है तथा मेरे द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर नं. 292/2021 अन्तर्गत धारा 143, 47. 354 भा०द०स० व धारा 3 एस.सी.एस.टी. एक्ट का मुकदमा अनुसंधान में पाये जाने पर उसमें आरोप पत्र निर्मल कुमार के खिलाफ न्यायालय एस.सी.एस.टी. कोर्ट बारा में पेश किया गया हैं। जो वर्तमान में विचाराधीन हैं।

7. जिरह वकील पार्टी नं0 2 श्री भीमराज नागर एड द्वारा जिरह की गई। साक्ष्यवादी ने जिरह में बताया कि शपथ पत्र में क्या लिखवाया था इसकी मुझे जानकारी नही है मैं कभी–कभी अंगुठा भी लगा देती हूँ व हस्ताक्षर भी कर देती हूँ। सहरोद के माल की जमीन का विवाद है। उक्त विवादित आराजी निर्मल के खाते दर्ज है। यदि तहसीलदार जी ने निर्मल को मौके पर कब्जा दिया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि सोयाबीन व सरसो की फसल निर्मल ने की हो मैने ही सरसो व उड़द को बोई थी। पिछले वर्ष भी सरसो की फसल मैने ही की थी। यह कहना गलत है कि निर्माण ने सरसो की फसल बोई हो और हम कटकर ले गये हो। जिसकी रिपोर्ट निर्मल ने थाना अटरू में दर्ज कराई थी जिसमे पुलिस ने जांच की थी लेकिन वह झूठी निकली थी। हमारे इस जमीन को लेकर निर्मल व हमारे बीच मे कोई लड़ाई–झगडा नही हुआ। यह कहना गलत है कि पिछले साल निर्मल ने सोयाबीन की फसल बोई हो लेकिन निर्मल ने रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो मेरे पास पुलिस नही गई। मुझे पुलिस वालो ने बुलाया था और मेरे बयान भी लिए थे। हमने निर्मल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह कहना सही है कि हमने निर्मल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था वो सही था। निर्मल व हमारे बीच में झगडा हुआ था उसकी रिपोर्ट मैने थाने में दर्ज करायी थीं यह बात सही हे कि इस जमीन को लेकर भविष्य में लडाई झगडा हो सकता है।

p1W2 गिरिराज पुत्र श्रीलाल जाति धाकड निवासी सहरोद, p1W3 नरेन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी जीरोद, p1W4 बंशीलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड निवासी जीरोद, p1W5 शंकर पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी जिरोद, p1W6 हेमराज पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी जिरोद, p1W7 राजाराम पुत्र भेरूलाल जाति मीणा निवासी जीरोद द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि ग्राम एवं माल जीरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) के खाता संख्या 160 के ख0नं0 105 का रकबा 2.44 है0, ख0नं0 108/721 का रकबा 0.05 है0 आराजी के पास ही मेरा खेत है उक्त आराजी को मैने होश सम्भाला तब से ही लगभग पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से मगनलाल ही शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त करता चला आ रहा था लेकिन मगनलाल वृद्ध हो चुका था और बीमार रहता था इसलिए उक्त आराजी को मगनलाल की पुत्र वधु भूलीबाई पत्नि स्व. रविकान्त जाति मीणा निवासी जीरोद बिना किसी व्यवधान के शान्ती पूर्वक काश्त कर रही है। आज से 20 दिन पूर्व मगनलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस वर्ष भी मूलीबाई ने ही उक्त

आराजी पर फसल सरसो की बुआई की थी जिसको भी काट कर तैयार करके घर लायी थी। निर्मल कुमार ने उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही किया।

8. पार्टी नं0 2 द्वारा साक्ष्यगवाह p2W1 के अन्तर्गत निर्मल कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र कस्तूरचंद जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां के शपथ ब्यान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यगवाह द्वारा अपने बयानों में बताया कि मेरे कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम व माल जिरोद तह. अटरू जिला बारां (राज.) की खाता संख्या 160 की खसरा न. 105 का रकबा 2.44 है, खसरा न. 108/721 का रकबा 0.05 है. कुल किता 2 का रकबा 2.49 है. आराजी स्थित है । ग्राम व माल जिरोद की खाता संख्या 160 की कुल किता 2 की 2.49 है. आराजी का दिनांक 25.06. 2021 को तहसीलदार महोदय अटरू व हल्का कानूनगो द्वारा मौका देखा गया था। जिसकी मौका रिपोर्ट बनाकर दिनांक 25.06.2021 को ही मौके पर कब्जा मुझे संभला दिया गया था। मेरे साथ अपरिवादीगण ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में लड़ाई झगड़ा कर मेरे साथ मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस थाना अटरू द्वारा अपरिवादी पक्ष को दिनांक 19.06.2021 को 107,116 (3) व 151 CRPC में गिरफ्तार कर 25,000–25,000 रूपये के जमानत मुचलकों पर पाबंद करवाया था। जिसके बाद उक्त आराजी पर मैंने फसल सोयाबीन की बुवाई कर दी थी । जिसको अपरिवादीगण ने हांक जोत कर फसल को नष्ट कर दिया था। जब मैने अपरिवादीगण को फसल नष्ट करने से रोकना चाहा तो अपरिवादीगण ने मिलकर मेरे साथ लड़ाई–झगडा व मारपीट की जिसकी रिपोर्ट मैने अपरिवादीगण के विरुद्ध पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस थाना अटरू द्वारा अपरिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 01.08.2021 को धारा 143, 427,447 IPC में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। जिसका FIR नं. 214/2021 है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय अटरू में विचाराधीन है। उक्त आराजी पर जब सरसों की फसल पूर्ण रूप से पककर तैयार हो गई थी तो मेरे द्वारा फसल सरसों को काटते समय मेरे व अपरिवादीगण के मध्य लड़ाई–झगड़ा न हो इसके लिए मैने पुलिस थाना अटरू में दिनांक 04.03.2022 को सूचना दी कि पुलिस थाना अटरू मुझे सरसों काटते समय पुलिस प्रशासन उपलब्ध करवाये ताकि मेरे व अपरिवादीगण के मध्य शान्ति बनी रहे लेकिन पुलिस थाना अटरू द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उसके बाद ही दिनांक 13.03.2022 को अपरिवादीगण ने मिलकर मेरे द्वारा बोई गई फसल सरसों को हार्वेस्टर से काटना शुरू कर दिया जिसको मैंने रोकना चाहा तो अपरिवादीगण ने मिलकर मेरे साथ

लड़ाई–झगडा कर मुझे जान से मारना चाहा तब मैने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई और मेरे खेत से मेरे द्वारा बोई गई सरसों की फसल को काटकर अपरिवादीगण अपने साथ ट्रैक्टर में भरकर ले गये। जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा दिनांक 14.03.2022 को पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी जो कि प्र.सू.रि. संख्या 0217 दिनांक 03.08.2022 धारा 379, 504, 323 भा.द.सं. से दर्ज हुई है। उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि मेरे व अपरिवादीगण के मध्य शान्ति बनी रहे और उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो मेरे व अपरिवादीगण के मध्य उक्त आराजी को लेकर काफी विवाद हो चूका है। यदि हम दोनों पक्षों को झगडे से नहीं रोका गया तो दोनों पक्षों में से किसी भी समय कोई भी पक्ष की मृत्यु कारित हो सकती है या फिर कोई भी गंभीर अपराध घटित हो सकता है। इसलिए दोनों पक्षों के मध्य शान्ति बनाये रखने के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त आराजी पर तहसीलदार महोदय अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। इसलिए ग्राम व माल जिरोद की खाता संख्या 160 की कुल किता 2 की 2.49 है. आराजी पर श्रीमान तहसीलदार महोदय को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

जिरह वकील पार्टी नं0 1 श्री मोहनलाल सुमन द्वारा जिरह की गई। साक्ष्यवादी p2W1 ने बताया कि इस जमीन पर रिसीवरी की कार्यवाही करवाने के लिए हमने थाने में प्रार्थना पत्र पेश किया था। मेरे आने के बाद में 2 साल से विवाद मदनलाल, भूली बाई वगे0 ही कर रहे हें यह जमीन मेरे वसीयतनामा से आयी थी जो मेरे 2020 में आयी थी। 2020 मे मेरे नाम इस जमीन का इन्तकाल खुल गया था। उससे पहले यह जमीन मांगीबाई पत्नी रामस्वरूप पिता घांसीलाल जाति ब्राहमण के खाते की थी। उससे पहले इस जमीन को मांगीबाइ काश्त करती थी। मांगीबाई खातेदार व पार्टी मूली बाई व मगनलाल के मध्य जमीन मेरे खाते आयी वहां तक कब्जे काश्त को लेकर कोइ विवाद नहीं हुआ। इस जमीन के आस पास मेरा खेत नहीं है। इसी रोड पर आधा कि मी0 दूर हैं यह सही है कि यह विवाद मेरे जमीन खाते आने के बाद से हुआ है। इस लोगों ने मेरे को काश्त भी नही करने दी फिर काह कि मेने फसल बोई थी तो इन्होने हांक दी। फिर मूली बाइ ने फसल बोई वो मेने हांक दी। लेकिन अभी भी मैने इस पर सरसों की फसल बो रखी हे। मैने रिसीपवरी की कार्यवाही की ओर इस न्यायालय में पत्रावली आयी उसके पहले ही मैने सरसों की फसल बो दी थी सरसो की फसल रितम्बर, अक्टू, नवम्बर में बोते है यह सही है कि मैने 08.03.2022 को रिपोर्ट दी थी। और पुलिस ने 14.03.2022 को परिवाद पेश किया वो भी

सही है। मेरे द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद पुलिस ने तफतीश भी की थी तथा अपरिवादी को पाबन्द किया था मुझे पाबन्द नहीं किया। यह सही है कि मूली बाई वगै0 ने 2021 में भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट दी थी। मेरे विवादित जमीन मेरे खाते बंधी उससे पहले से भी यह खेत देख रखा था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि विवादित जमीन को 50 वर्ष से मूली बाई काश्त कर रही हो। 2021 में फसल सरसो की मैने ही बोई थी लेकिन अपरिवादी ने जबरदस्ती काटकर ले गई थी जिसकी मेने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस रिपोर्ट पर पुलिस ने मूली बाइ व मगनलाल से मेरी फसल को जप्त नहीं किया। मेरे को यह जानकारी नहीं है कि मेरी रिपोर्टों पर पुलिस ने चालान पेश किया या नहीं किया। मुझे यह जानकारी नहीं हे कि मूली बाइ, मगनलाल किस आधार पर इस जमीन पर कबजा करने आये। यह जमीन जो मेरे खाते बन्धी हे मैने देख रखी हे। मैने पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.05.2022 जो पटवारी जिरोद ने बनायी है उस पर 10 गवाहन के हस्ताक्षर हे मैने नहीं पढा। मुझे यह पता नहीं हे कि पटवारी रिपोर्ट में जो कब्जा मगनलाल व मूली बाई का बताया है वह गलत है लेकिन कबजा मांगीबाई का था। मांगीबाई लाऔलाद थीं मेरे इस जमीन के अलावा मांगीबाइ की 56 बीघा जमीन हे जो मेरे नाम दानपत्र से खाते बंधवायी है। मांगीबाई ने इस जमीन का दानपत्र मेरे नाम नहीं किया मुझे पता नहीं हें यह तो मांगीबाई ही बता सकती है। यह कहना गलत है कि विवादित आराजी का दानपत्र मांगीबाई ने उस समय इसलिए नहीं करवाया कि यह जमीन उस मय मूली बाई व मगनलाल के कब्जे काश्त में चल रही हें वर्ष 2021 में मेने सरसों की फसल बोई तो मूली बाई व मगनलाल काटकर ले गये। मुझे फस्ट में कब्जा संभलाया उसकी जानकारी है यह बात 2021 की जून के महिने की है। तहसीलदार जी व पुलिस वाले मौके पर गये थे उन्होने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये थे। रिपोर्ट तैयार हुई उस समय मूली बाई, मगनलाल मौके पर नहीं थे।

p2W2 सतीश पुत्र देवकरण जाति धाकड निवसी सहरोद, p2W3 भवानी शंकर पुत्र रतनलाल जाति धाकड निवासी सहरोद, p2W4 घनश्याम पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद, p2W5 पुष्पदयाल पुत्र जोधराज जाति धाकड निवासी सहरोद का शपथ पत्र पेश कर शपथ पूर्वक बयान किये कि परिवादी निर्मल कुमार के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम व माल जिरोद तह. अटरू जिला बारां (राज.) में लगभग 16 बीघा आराजी स्थित है तथा इसी ग्राम माल में मेरे खाते की आराजी भी स्थित है। उक्त आराजी को निर्मल कुमार से पूर्व मांगीबाई कब्जा काश्त करती चली आ रही थी। परिवादी निर्मल कुमार के साथ अपरिवादीगण ने उक्त आराजी के

सम्बन्ध में लड़ाई झगड़ा कर मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट परिवादी द्वारा पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी जिसके बाद उक्त आराजी पर परिवादी ने सोयाबीन की फसल की बुवाई कर दी थी जिसको अपरिवादीगण ने हांक जोत कर नष्ट कर दिया था। जब परिवादी ने अपरिवादीगण को फसल नष्ट करने से रोकना चाहा तो अपरिवादीगण ने मिलकर उसके साथ लड़ाई–झगडा व मारपीट की जिसकी रिपोर्ट पुनः परिवादी ने अपरिवादीगण के विरुद्ध पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। उक्त आराजी पर जब सरसों की फसल पूर्ण रूप से पककर तैयार हो गई थी तो परिवादी के द्वारा फसल सरसों को काटते समय परिवादी व अपरिवादीगण के मध्य लड़ाई–झगडा न हो इसके लिए परिवादी ने पुलिस थाना अटरू में सूचना दी कि पुलिस थाना अटरू मुझे सरसों काटते समय पुलिस प्रशासन उपलब्ध करवाये ताकि मेरे व अपरिवादीगण के मध्य शान्ति बनी रहे लेकिन पुलिस थाना अटरू द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उसके बाद अपरिवादीगण ने मिलकर परिवादी द्वारा बोई गई फसल सरसों को हार्वेस्टर से काटना शुरू कर दिया जिसको उसने रोकना चाहा तो अपरिवादीगण ने मिलकर परिवादी के साथ लड़ाई–झगड़ा कर जान से मारना चाहा तब परिवादी ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई जिसके बाद परिवादी के खेत से उसके द्वारा बोई गई सरसों की फसल को काटकर अपरिवादीगण अपने साथ ट्रैक्टर में भरकर ले गये। जिसकी रिपोर्ट पुनः परिवादी द्वारा पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। परिवादी व अपरिवादीगण के मध्य उक्त आराजी को लेकर काफी विवाद हो चूका है। यदि दोनों पक्षों को झगडे से नहीं रोका गया तो दोनों पक्षों में से किसी भी समय कोई भी पक्ष की कारित हो सकती है या फिर कोई भी गंभीर अपराध घटित हो सकता है।

9. अभिभाषकगण पार्टी नं0 1 बहस सुनी गई। अभिभाषकगण पार्टी नं0 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम जिरोद की विवादित आराजी पर पार्टी नं0 1 का विगत करीब 40 वर्षों से शांतीपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा था लेकिन विगत 1 वर्ष से अप्रार्थी पार्टी नं0 2 बीच बीच में जबरन कब्जा लेने के लिए लडाई झगडे करने के प्रयास कर रहा है। विवादित आराजी मूलतः मांगीबाई पुत्री घांसीलाल ब्राहमण के खाते दर्ज थी जिसे खातेदार मांगीबाई ने संवत 2034–35 में रूपये व अनाज के बदले पार्टी नं0 1 मगनलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा को बेचान इकरार कर कब्जा सौंप दिया था। इस संबंध में खातेदार मांगीबाई ने 10.07.1999 को 5 रू के स्टाम्प पेपर पर एक तहरीर भी निस्पादित की थी और तभी से पार्टी नं0 1 विवादित आराजी पर शांतीपूर्ण तरीके से कब्जे काश्त चले आ रहे हे। बेचान इकरार के बाद जब खातेदार मांगीबाई ब्राहमण ने पार्टी नं0 1

के पक्ष में रजि0 नहीं करवाई तो पार्टी नं0 1 द्वारा मांगीबाइ के विरूद्ध एक घोषणात्मक वाद संख्या 20/2005 उनवान मगनलाल बनाम मांगीबाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के समक्ष पेश किया गया था। लेकिन मांगीबाई द्वारा पार्टी नं0 1 के साथ राजीनामा कर शीघ्र रजिस्ट्री कराने के समझोते के आधार पर वापिस ले लिया गया था। इसके बाद मांगीबाई ब्राहमण द्वारा पुनः 8 लाख रूपये व अन्य सामान लेकर पार्टी नं0 1 के साथ 100 रू के स्टाम्प पेपर पर 6 गवाहों की उपस्थिति में बेचान इकरारनामा लिखा कि जैसे ही मैं अटरू जाने आने में सक्षम हो जाउंगी तब पार्टी नं0 1 के पक्ष में पंजीयन करा दूंगी। पार्टी नं0 1 का लगातार व शांतीपूर्ण कब्जाकाश्त बदस्तूर चला रहा लेकिन राजस्व रिकार्ड मात्र में मांगीबाई ब्राहमण का नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थी पार्टी नं0 2 ने 80–85 वर्षीय अतिवृद्ध मांगीबाई की शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता का अनुचित लाभ उठाकर वर्ष 2020 में एक झूठी व कूठरचित वसीयत लिखा ली थी। इस कूटरचित वसीयत में विवादित आराजी पर वसीयतकर्ता मांगीबाई का कब्जा व स्वामित्व एवं विवाद रहित दिखाकर वसीयत कराई गई है जबकि विवादित आराजी पर न तो वसीयतकर्ता का कब्जा काश्त था और न ही वसीयतकर्ता को वसीयत करने का कोई अधिकार था क्योंकि वसीयतकर्ता विवादित आराजी का पूर्व में ही दो बार प्रतिफल लेकर मगनलाल मीणा के पक्ष में बैचान इकरार कर चुकी थी।

अभिभाषकगण पार्टी नं0 1 ने आगे तर्क किया कि उक्त कूटरचित व फर्जी वसीयत की तहसीलदार अटरू द्वारा धारा 135(2) एलआरएक्ट0 में सुनवाई के दौरान पटवारी हल्का जिरोद द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि वसियत की गई आराजी पर मगनलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। फिर भी तहसीलदार ने सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर विवादित आराजी की किसी भी समाचार पत्र में आम आपत्ति आमंत्रित किये बिना कब्जाधारी मगनलाल को सुने बिना अप्रार्थी पार्टी नं0 2 के साथ सांठगांठ कर दिनांक 26.06.2020 को पार्टी नं0 2 के पक्ष में इंतकाल संख्या 742 तस्दीक किया गया। **अभिभाषक पार्टी नं0 1 द्वारा तर्क किया गया कि किसी संपत्ति के स्वामित्व के लिए कब्जा महत्वपूर्ण घटक है, सिर्फ राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र से स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।**

अभिभाषकगण पार्टी नं0 1 ने आगे तर्क किया कि ग्राम जिरोद की उक्त विवादित आराजी के स्वामित्व की घोषणा को लेकर सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद संख्या 116/2021 मगनलाल बनाम निर्मल कुमार लंबित है और जब किसी विवादित आराजी के स्वामित्व निर्धारण को

लेकर किसी सक्षम न्यायालय मे वाद लंबित है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Ram Sumer Puri Mahant vs State of U.P & Ors, reported in 1985 (1) S.C.C. 427** मे दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में दौराने वाद धारा 146 सीआरपीसी की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। पार्टी नं0 2 को पार्टी नं0 1 की बेदखली के लिए **धारा 183 बी आर0टी0एक्ट0 में सक्षम न्यायालय** में दावा पेश किया जाना चाहिए न कि धारा 145–146 सीआरपीसी में। अतः इस्तागासा/प्रकरण अन्तर्गत धारा 145–146 सीआरपीसी0 निरस्त फरमाया जावे।

10. पार्टी नं0 1 मूलीबाई व अन्य ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– (i) उदमीराम बनाम धरम सिंह (चौपडा जे) आरएलडब्ल्यू 1988, (ii) Ram Sumer Puri Mahant vs State of U.P & Ors, reported in 1985 (1) S.C.C. 427 (iii) तेजसिंह बनाम राजस्थान राज्य आरएलडब्ल्यू 2004 (4) राज0 उच्च न्यायालय बेंच जयपुर, (iv) जगदीश बनाम राजस्थान राज्य आरएलडब्ल्यू 1996 (2) राज0 उच्च न्यायालय बेंच जयपुर, (v) मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य Cr.L.r (Raj) 1982 राज0 उच्च न्यायालय बेंच जयपुर, (vi) कालू व अन्य बनाम करणीदान व अन्य आरएलडब्ल्यू 1990 (2) राज0 उच्च न्यायालय बेंच जयपुर।

11. पार्टी नं0 1 द्वारा अपने समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन निम्न प्रकार है–

(i) उदमीराम बनाम धरम सिंह (चौपडा जे) आरएलडब्ल्यू 1988 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 145, 146 व 107 सपठित धारा 116 संपत्ति के कबजे के प्रश्न को लेकर सिविल अथवा राजस्व का मामला लंबित है– अन्तरिम व्यादेश प्रदान करने अथवा प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति करने की स्थिति –पक्षकारों को सिविल अथवा राजस्व न्यायालय में जाना चाहिये–समानान्तर रीति में दाण्डिक कार्यवाही चालू रखने की अनुमति नहीं–शांति भंग होने का मामला धारा 107 सपठित धारा 116 के अधीन कार्यवाही करना संगत मार्ग है।

(ii) Ram Sumer Puri Mahant vs State of U.P & Ors, reported in 1985 (1) S.C.C. 427 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि In the case of Ram Sumer Puri Mahant vs State of U.P & Ors, reported in 1985 (1) S.C.C. 427. In this

case it has been held as follows : “When a civil litigation is pending for the property wherein the question of possession is involved and has been adjudicated, we see hardly any justification for initiating a parallel criminal proceeding under Section 145 of the Code. There is not scope to doubt or dispute the position that the decree of the civil court is binding to the criminal court in a matter like the one before us. Counsel for respondents 2-5 was not a position to challenge the proposition that parallel proceedings should not be permitted to continue and in the event of a decree of the civil court, the criminal court should not be allowed to invoke its jurisdiction particularly when possession is being examined by the civil court and parties are in a position to approach the civil court for interim orders such as injuction or appointment of receiver for adequate protection of the property during pendency of the dispute. Multiplicity of litigation is not in the interest of the parties nor should public time be allowed to be wasted over meaningless litigation. We are, therefore, satisfied that parallel proceedings should not continue.”

(iii) तेजसिंह बनाम राजस्थान राज्य आरएलडब्ल्यू 2004 (4) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि Cr.pc. 1973 Sec. 145- Proceedinghs u/sec. 145 are prohibitory and precautionary to maintain peace, law& order in the area and on the land in disputecourt cannot give any finding in redard to possession over the land in dispute at this stage- As regards ownership/possession over the land in dispute may got necessary orders from the competent court. Petition dismissed. Para 4

(iv) जगदीश बनाम राजस्थान राज्य आरएलडब्ल्यू 1996 (2) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 145–सक्षम न्यायालय में सिविल वाद लंबित है और वहां से व्यादेश भी जाी हो चुका है–तब (इसी विवाद के संबंध में) दांडिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगी–यह वर्तमान केस विाद का निपटारा कर देगा भले ही पूर्व में कुछ भी कार्यवाही हुई हो।

(v) मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य Cr.L.r (Raj) 1982 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि Regarding the power of the Magistrate in cases where the matter in Civil Court of revenue court is pending, shile enunciating the above referred principle, it was----, that, this does not mean that the jurisdiction of the Magistrate to pro—under section 145 crpc is ousted simply because the suit about the same –immuvable property is already pending in a Civel or revenue court.

(vi) कालू व अन्य बनाम करणीदान व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता सन 1973, धारा 145–विवादास्पद भूमि से संबंधित वाद राजस्व न्यायालय में लंबित है कोई अन्तर्वती आदेश नहीं दिया गया–धारा 145 के अधीन कार्यवाही चालू रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।

12. अभिभाषक पार्टी नं 2 द्वारा उक्त बहस का पूरजौर विरोध करते हुए कथन किया गया कि पार्टी नं0 2 निर्मल कुमार विवादित आराजी के खातेदार कृषक है जिसे स्वयं प्रशासन ने दिनांक 25.06.2021 को कब्जा दिलाकर पार्टी नं0 1 को पाबन्द किया था। पार्टी नं0 1 द्वारा हमारे खाते की आराजी पर जबरन कब्जा किया है। अतः पार्टी नं0 1 कानूनन अतिक्रमी है और एक अतिक्रमी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हे। विवादित आराजी वर्षों से मृतक मांगीबाई ब्राहमण के कब्जे काश्त में थी। मांगीबाई ने वर्ष 2018–19 व 2019–20 में केवल 2 वर्षों के लिए ही विवादित आराजी को मगनलाल को जुपाया था। इसके बाद वष्र 2019 में मांगीबाई ने पार्टी नं0 2 निर्मल के पक्ष में वसीयत कर दी थी और इसी वसीयत के आधार पर जांच पडताल कर तहसीलदार अटरू द्वारा पार्टी नं0 2 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 742 दिनांक

24.06.2020 तस्दीक किया गया था। तहसीलदार अटरू ने वसीयत का नामान्तरण तस्दीक करने के दौरान कब्जे काश्त की स्थिति को जांच पडताल किया था। अभिभाषक पार्टी नं0 2 द्वारा आगे तर्क किया गया कि पार्टी नं0 2 द्वारा पार्टी नं0 1 के विरूद्ध पुलिस थाना अटरू में दर्ज एफआई आर संख्या 214/2021 दिनांक 01.08.2021 में पुलिस ने भी पार्टी नं0 2 निर्मल नागर का ही कब्जा बताया है। पार्टी नं0 1 का विगत 40–50 वर्षो से कब्जे काश्त होने का तर्क झूठा है। पार्टी नं0 1 के गवाहों में नरेन्द्र ने कथन किया है कि पार्टी नं0 1 का विवादित आराजी पर 2–3 सालों से कब्जा है, बंशीलाल ने कथन किया है कि विवादित आराजी पर सरसों की फसल मगनलाल या निर्मल नागर किसने बोई है स्पष्ट नहीं है। शंकरलाल ने भी विवादित आराजी पर पार्टी नं0 1 का 2–3 सालों से ही कब्जा माना है। स्वयं भूलीबाई ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि मैने 2 सालों से ही विवादित आराजी पर सरसों की फसल बोई है।

अभिभाषक पार्टी नं0 2 द्वारा आगे तर्क किया गया था कि पार्टी नं0 1 द्वारा हमारे विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें पुलिस ने केवल धारा 354 आईपीसी व धारा 3 एससीएसटी एक्ट में ही हमारा अपराध प्रमाणित माना है न कि धारा 447 आईपीसी में। अभिभाषक वादी द्वारा पुनः तर्क किया कि मूलीबाई ने अपने साक्ष्य जिरह में स्वीकार किया है कि उसे पता नहीं है कि शपथ पत्र में क्या लिखा है। मुझे तो वकील ने साईन करने के लिए कहा तो मैने अंगूठा लगा दिया।

अभिभाषक पार्टी नं0 2 द्वारा आगे तर्क किया गया कि मूल दावे में साक्ष्यवादी के दोरान पार्टी नं0 1 के सभी गवाहों ने व स्वयं मूली बाई ने स्वीकार किया है कि विवादित आराजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य लडाई झगडा होने की संभावना है। अतः पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 दोनों पक्षकार यह स्वीकार करते है कि विवादित आराजी को लेकर लडाई झगडा होगा तो मूल वाद संख्या 116/2021 मगनलाल बनाम निर्मल कुमार के निस्तारण तक विवादित आराजी को धारा 146 सीआरपीसी के अधीन रिसीवरी में दिया जाना न्यायोचित होगा।

13. पार्टी नं0 2 निर्मल कुमार ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–(i) मो0 आबिद व अन्य बनाम रवि नरेश व अन्य 2022 (4) आरएलडी 3420 (ii) श्रीमती सुरतानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2017 (2) आरएलडब्ल्यू 1001.

14. पार्टी नं0 2 द्वारा अपने समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन निम्न प्रकार है–

(i) मो0 आबिद व अन्य बनाम रवि नरेश व अन्य 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि दं.प्र.सं. की धारा 145, 146 के तहत कार्यवाहीयों का समापन–एक बार जब दीवानी न्यायालय से मामला छीन लिया जाता है तो दं.प्र.सं. की धारा 145/146 के तहत आगे काग्रवाही नहीं की जा सकती और उसका समापन कर दिया जाना आवश्यक है–यानी पहले ही निषेधाज्ञार्थ वाद दायर कर चुका है जिसमें दीवानी न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञाा प्रदान की जा चुकी है–स्वतव एवं कबजे बाबत पक्ष्राकारों के परस्पर अधिकारों का अन्तिम रूप से अवधारण दीवानी न्यायालय द्वारा करना होता हे–अभिनिध्रारित इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश एक अन्तरिम उपाय के रू‍प मे प्रवर्तित होना तब तक जारी रहेगा तब तक संबंधित दीवानी न्यायालय समुचित आदेश पारित नहीं करता।

(ii) श्रीमती सुरतानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2017 (2) माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि दं.प्र.सं. की धारा 145, 146 –परिवाद के आधार पर दं.प्र.सं. की धारा 145 के तहत कार्यवाही और प्रापक की नियुक्ति–भूमि संबंधी विवाद–कब्जा संबंधी विवाद उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया और उपखण्ड अधिकारी को प्रापक के रूप में नियुक्त किया–पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश बहाल रखा–अभिनिर्धारित–द्वितीय पुनरीक्षण दं.प्र.सं की धारा 397(3) के तहत वर्जित हे–दोनों निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता नहीं।

15. अभिभाषकगण उभयपक्षकरान की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पेश न्यायिक दृष्टान्तों का मनन किया गया और संबंधित विधी से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। ग्राम जिरोद की जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार स्पष्ट है कि विवादित आराजी खाता संख्या 160 ख0नं0 105 रकबा 2.44 है0 व ख0नं0 108/721 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.49 है0 आराजी पार्टी नं0 2 निर्मल कुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड के खाते दर्ज है जो जरिये वसीयत नामान्तरण संख्या 742 दिनांक 24.06.2020 से निर्मल कुमार के खाते दर्ज हुई है। विवादित आराजी कृषि भूमि है। इसी प्रकार पार्टी नं0 1 द्वारा पेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है

कि ग्राम जिरोद की उक्त विवादित आराजी खाता संख्या 160 को लेकर सक्षम राजस्व न्यायालय –न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0 में वाद संख्या 116/2021 लंबित है अर्थात **विवादित कृषि आराजी के स्वामित्व के निर्धारण हेतु सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद लंबित है। उक्त वाद में ही सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा साक्ष्य व गवाहों के आधार पर धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0 के अधीन खातेदारी अधिकारों का निर्धारण किया जायेगा, न कि कार्यापालक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145/146 सीआरपीसी के अधीन किया जाना है**। पार्टी नं0 1 द्वारा पेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू की प्रकरण संख्या 20/2005 मगनलाल बनाम मांगीबाई की आदेशिका की सत्य प्रतिलिपी के अनुसार ग्राम जिरोद की उक्त विवादित आराजी को लेकर वर्ष 2005 में भी पार्टी नं0 1 मगनलाल मीणा द्वारा खातेदार मांगीबाई के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0 में दावा पेश किया गया था जो दिनांक 31.10.2008 को वादी की अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। उक्त वाद में भी पार्टी नं0 1 मगनलाल द्वारा विवादित आराजी पर वर्षों पूराने शांतीपूर्ण व प्रतिकूल कब्जा काश्त और खातेदार मांगीबाई द्वारा किये गये बेचान इकरार के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई थी।

16. धारा 145 सीआरपीसी की मूल भावना विवादित भूमि या जल क्षेत्र या इनसे संबंधित सीमाओं के स्वामित्व/टाईटल/अधिकार का जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारण नहीं कर दिया जाता तब तक उस सम्पति के विवाद को समाप्त कर या रोककर स्थानीय शांती व्यवस्था को बनाये रखना है। धारा 145/146 सीआरपीसी की कार्यवाही का मूल उदेश्य सक्षम न्यायालय(राजस्व/सिविल न्यायालय) द्वारा स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण तक विवादित भूमि या जल क्षेत्र के **वास्तविक कब्जेदार** का निर्धारण कर कब्जे के यथास्थिति को बनाये रखना ताकि शान्ति व्यवस्था भंग नहीं हो। पार्टी नं0 1 द्वारा पेश 100 रू के स्टाम्प पेपर पर लिखे गये इकरार दिनांक 16.06.2011 के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि ग्राम जिरोद की विवादित आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 2.49 है0 को खातेदार मांगीबाई द्वारा पार्टी नं0 1 मगनलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा को बेचान इकरार कर कब्जा दे दिया गया था। पार्टी नं0 1 द्वारा पेश तहरीर आसाढ बुदी 12 संवत 2034 की प्रतिलिपी के अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि मूल खातेदार मांगीबाई ब्राहमण द्वारा जमनालाल निवासी सहरोद, गंगाबिशन यादव निवासी सहरोद, नवलकिशोर नागर पटेल हिरालाल निवासी जिरोद, रामचन्द्र जिरोद आदि की उपस्थिति में ग्राम जिरोद का खेत

रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा को पांती पर दिया गया था। पार्टी नं0 2 द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021 की प्रतिलिपी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि कानूनगो योगेन्द्र जी यादव द्वारा ग्राम जिरोद की विवादित आराजी ख0नं0 105 रकबा 2.44 है0 व ख0नं0 108/721 रकबा 1.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.49 है0 भूमि का खातेदार निर्मल नागर व 2 अन्य ग्रामिण पुष्पदयाल व मुकेश नागर की उपस्थिति में मौका देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी मगनलाल लकवाग्रस्त होने से मौके पर उपस्थित नहीं हो पाया और उनकी जगह उनके भाई ब्रजमोहन पुत्र जगन्नाथ मीणा के उपस्थित होने का उल्लेख है। रिपोर्ट में अप्रार्थी मगनलाल को खातेदार निर्मल को काश्त करने से नहीं रोकने बाबत समझाना व पाबन्द किया जाना जाहिर होता है। इस मौका रिपोर्ट के संबंध में अभिभाषक पार्टी नं0 1 द्वारा कथन किया गया कि कानूनगो योगेन्द्र जी यादव ततसमय न तो अपने साथ क्षेत्रीय भूअभि निरीक्षक कुजेड व पटवारी पटवार हल्का जिरोद को साथ न ले जाकर स्वयं पार्टी नं0 2 के साथ उपस्थित हुए थे। कानूनन मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्थानीय पटवारी, भू.अभी. निरीक्षक की उपस्थिति में तैयार की जाती है। अतः दूसरे वृत के भू.अभि.निरीक्षक योगेन्द्र जी यादव द्वारा अकेले ही केवल 2 ग्रामीणों की उपस्थिति में पार्टी नं0 1 मगनलाल के लकवाग्रस्त होने के बावजूद तैयार की गई यह मौका रिपोर्ट गैर कानूनी है। अभिभाषक पार्टी नं0 2 ने विरोध में कथन किया कि कानूनगो जी योगेन्द्र जी द्वारा यह रिपोर्ट तहसीलदार अटरू के आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/1991–92 दिनांक 23.06.2021 की पालना में तैयार की गई थी। अतः विधि अनुकूल है। पार्टी नं0 2 द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 प्रदर्श ए 3 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि तहसीलदार अटरू के आदेश क्रमांक/भू.अभि./2022/871–77 दिनांक 09.02.2022 की पालना में दिनांक 17.02.2022 को हल्का पटवारी रवि कुमार नागर, भैंसडा पटवारी कुलदीप व चरडाना पटवारी दिनेश कुमार नागर द्वारा करीब 15 ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्राम जिरोद की विवादित आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 2.49 है0 का मौका देखा गया था जिसमें दोनों पक्षों द्वारा विवादित आराजी पर अपना अपना कब्जा बताया गया इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि तत्समय कब्जा पार्टी नं0 1 का था या पार्टी नं0 2 का। थाना अटरू में पार्टी 1 मूलीबाई द्वारा पार्टी नं0 2 निर्मल नागर के विरूद्ध दर्ज एफआईआर. संख्या 0292 दिनांक 01.11.2021 में जांच अधिकारी द्वारा न्यायालय में पेश चालान के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त की स्थिति प्रमाणित नहीं हो पायी है, केवल पार्टी नं0 1 व 2 के मध्य लडाई झगडा होना प्रमाणित माना गया। उक्त प्रकरण में

न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 11.11.2021 को धारा 164 सीआरपीसी में दर्ज ब्यानों के आधार पर विवादित आराजी में पार्टी नं0 1 द्वारा सरसों बोया जाना और तदुपरान्त उपर से पार्टी नं0 2 द्वारा हांक देना जाहिर होता है। इसी प्रकार पार्टी नं0 2 द्वारा पार्टी नं0 1 के विरूद्ध दर्ज एफआइ आर संख्या 214 दिनांक 01.08.2021 प्रदर्श ए 7 के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी/पार्टी नं0 2 निर्मल नागर द्वारा स्वयं विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने का उल्लेख किया है। प्रार्थी/पार्टी नं0 2 द्वारा कथन किया हे कि तहसील कानूनगो द्वारा पुलिस की उपस्थिति में दिनांक 15.07.2021 को विवादित आराजी का कब्जा पार्टी नं0 1 से लेकर पार्टी नं0 2 को सौंपा गया था। इसके बाद दिनांक 29.07.2021 को पुनः पार्टी नं0 1 द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। पार्टी नं0 2 द्वारा पुलिस थाना अटरू में दर्ज एफआई आर संख्या 217 दिनांक 03.08.2022 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए 6 के अवलोकर से जाहिर होता है कि विवादित आराजी पर वर्ष 2022 में पहले एक पक्ष द्वारा फसल बोई गई और फिर इसके उपर दूसरे पक्ष द्वारा फसल बोई गई। इसी प्रकार थानाधिकारी अटरू द्वारा न्यायालय में पेश इस्तगासा दिनांक 19.06.2021 अन्तर्गत धारा 107, 116, 151 सीआरपीसी प्रदर्श पी 5 में परीवादी पार्टी नं0 2 द्वारा विवादित आराजी को वर्ष 2020–21 में मुनाफा काश्त पर जुपाया जाना स्वीकार किया है और जांच अधिकारी राजेन्द्र कुमार स.उ.नी. कुंजेड चौकी द्वारा अपनी जांच में पाया है कि विवादित आराजी पर करीब 20 सालों से मगनलाल का कब्जा है।

17. सी.आर.पी.सी. की धारा 145 के अन्तर्गत निम्न 4 बिन्दुओं पर विचार करना जरूरी हैः–

(i) <u>विवाद दो पक्षकारों के मध्य है</u>ः– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एफआईआर संख्या 217 दिनांक 03.082022 प्रदर्श ए 6, एफआईआर संख्या 214 दिनांक 01.08.2021 प्रदर्श ए 7, एफआईआर संख्या 0292 दिनांक 01.11.2021, इस्तागासा दिनांक 19.06.2021 अन्तर्गत धारा 107, 151 सीआरपीसी, मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 प्रदर्श ए 3, मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021, एवं राजस्व न्यायालय में लंबित वाद संख्या 116/2021 आदि के आधार पर प्रमाणित है कि ग्राम जिरोद की विवादित आराजी खाता संख्या 160 कुल किता 2 कुल रकबा 2.49 है0 भूमि के स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण एवं कब्जे काश्त को लेकर पार्टी नं0 1 मूली बाई पत्नि रविकान्त, मगनलाल पुत्र जगन्नाथ एवं पार्टी नं0 2 निर्मल कुमार पुत्र कस्तूरचन्द के मध्य विवाद व लडाई झगडा है।

(ii) <u>विवादित संपत्ति पर कब्जाः</u>– धारा 145(4) सीआरपीसी के अधीन नियुक्त मौका मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट दिनांक 18.08.2022, राजस्व टीम की मोका रिपोर्ट प्रदर्श ए 3, पार्टी नं0 1 द्वारा पेश साक्ष्य गवाहन P1W1, P1W2, P1W3, P1W4, P1W5, P1W6, P1W7, पार्टी नं0 2 द्वारा पेश साक्ष्य गवाह P2W1, P2W2, P2W3, P2W4, P2W5 एवं पार्टी नं0 1 द्वारा पेश पंजिकृत परिवाद रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021, पंजीकृत परिवाद दिनांक 01.08.2021 व 03.08.2022 एवं थानाधिकारी अटरू द्वारा पेश इस्तगासा दिनांक 19.06.2021 आदि के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम जिरोद की उक्त विवादित आराजी पर इस्तगासा दर्ज होने की दिनांक 14.03.2022 से दो माह पूर्व तक विवादित आराजी पर वर्तमान में किसी भी पक्ष का स्पष्ट कब्जा साबित नहीं होता है। पी.1 डब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में कहा है कि विवादित आराजी पर मैने ही सरसों व उडद बोई थी निर्मल ने कभी भी सरसों व सोयाबीन नहीं बोई थी। हमारे व निर्मल के बीच मे लडाइ झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में कराई थी। पी 1 डब्ल्यू 3 नरेन्द्र ने अपनी जिरह में कहा है कि विवादित आराजी को 2–3 साल से मूली बाई काश्त कर रही है। पी 1 डब्ल्यू 5 ने भी अपनी जिरह में कहा है कि सरसों की फसल मूलीबाई ने ही बोई थी व काटी भी थी। पी 2 डब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में विवादित आराजी के कब्जे के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये हे कि विवादित आराजी पहले मांगीबाई पत्नी रामस्वरूप पुत्री घांसी लाल ब्राहमण के खाते दर्ज थी जिसे मांगीबाई ही काश्त करती थी। आगे कथन किया कि मुझे जानकारी नहीं है कि विवादित जमीन को 50 वर्षों से मूली बाई काश्त कर रही है। पी 2 डब्ल्यू 1 ने यह भी कथन किया है कि मांगीबाई लाऔलाद थी। इस विवादित आराजी के अलावा मांगीबाई की 56 बीघा जमीन है। जो मेरे नाम दानपत्र से खाते बंधवयी है। पी 2 डबल्यू 1 निर्मल ने कहा हे कि दिनांक 11.05.2022 को पटवारी जिरोद ने जो मौका रिपोर्ट बनाई है, जिस पर 10 गवाहन के हस्ताक्षर है मेने नहीं पढी कि उसमें किसका कब्जा बताया गया है। इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध 100 रू के स्टाम्प पेपर पर बेचान इकरार दिनांक 16.06.2011, बेचान इकरार आसाढ बुरी 12 संवत 2034, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू में पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 20/2005 मगनलाल बनाम मांगीबाई, वसीयत के आधार पर धारा 135(2) एल0आर0एक्ट0 के अधीन तहसीलदार अटरू के न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2020 व पुलिस जांच रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 2021 से पूर्व अनेक वर्षों से पार्टी नं0 1 का कब्जा काश्त होना साबित होता है।

(iii) वाद का सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं होना :– उक्त प्रकरण में विवादित सम्पति कृषि आराजी है। ग्राम जिरोद की उक्त विवादित आराजी खाता संख्या 160 के स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण को लेकर सक्षम राजस्व न्यायालय –न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0 में वाद संख्या 116/2021 लंबित है अर्थात विवादित कृषि आराजी के स्वामित्व के निर्धारण हेतु सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद लंबित है। उक्त वाद में ही सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा साक्ष्य व गवाहों के आधार पर धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0 के अधीन खातेदारी अधिकारों का निर्धारण किया जायेगा। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी विवादित आराजी के स्वामित्व व अधिकारों को लेकर सक्षम राजस्व या सिविल न्यायालय में वाद लंबित हो तो समान्तर रूप से धारा 145–146 सीआरपीसी के अधीन दाण्डिक कार्यवाही चालू रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। धारा 145 के अधीन कार्यवाही चालू रखना न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है। यदि सक्षम न्यायालय से स्वामित्व के निर्धारण होने से पूर्व पक्षकारों के मध्य लडाई झगडे या गाली गलौच होती है तो पुलिस को धारा 107, 122 सहपठित धारा 116 सीआरपीसी के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।**

(iv) शान्ति भंग होने कि प्रबल संभावना नहीं होना :– थानाधिकारी अटरू द्वारा पेश इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तथ्यों एवं जांच, दर्ज एफआईआर संख्या 0292 दिनांक 01.11.2021, एफआईआर संख्या 214 दिनांक 01.08.2021, एफआईआर संख्या 217 दिनांक 03.08. 2022, आदि के आधार पर जाहिर है कि वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य विवादित आराजी को लेकर गाली गलौच व कहा सुनी होने जैसा विवाद तो है लेकिन मारपीट/खून–खराबा होने की प्रबल संभावना प्रतीत नहीं होती है। पी.1 डब्ल्यू 1 मूलीबाई ने अपनी जिरह में कहा है कि विवादित आराजी पर मैने ही सरसों व उडद बोई थी निर्मल ने कभी भी सरसों व सोयाबीन नहीं बोई थी। हमारे व निर्मल के बीच मे लडाइ झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में कराई थी। पी1 डबल्यू 3 नरेन्द्र ने अपनी जिरह में कहा है कि एक बार इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पी1 डब्ल्यू 4 ने अपनी जिरह में कहा है कि कि मूली बाई ने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा नहीं किया है । निर्मल विवादित आरजाी को हांकने गया तो मूलीबाई ने रिपोर्ट कराई थी। विवादित आराजी पर सरसों की बुआई निर्मल ने की है या मूलीबाई ने मुझे पता नहीं है। मूली बाई विधवा है अतः भविष्य में जमीन को लेकर झगडे की

सम्भवना कम है। पी 1 डब्ल्यू 5 ने अपनी जिरह में कहा है कि पार्टी नं0 1 मगनलाल के परिवार में 15–20 व्यक्ति न होकर केवल 2 व्यक्ति ही है। मगनलाल लकवाग्रस्त है व मूलीबाई का देवर दुर्बल कमजौर सा है। पी 1 डब्ल्यू 6 ने जिरह में कहा है कि मूली बाई व निर्मल के बीच लडाई झगडा हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मूलीबाई के परिवार में कोई नहीं बचा है इसलिए लडाई झगडा होने की संभावना नहीं है। पी 2 डब्ल्यू 1 निर्मल ने अपनी जिरह में कहा है कि 2020 में जमीन मेरे खाते आने के बाद से ही पार्टी नं0 1 के साथ विवाद शुरू हुआ है। पहले मैने फसल बोई थी तो इन्होने हांक दी और फिर मूली बाई ने फसल बोई तो मैने हांक दी। तो मेने 08.03.2022 को पुलिस थाना अटरू में रिपोर्ट दर्ज की जिस पर पुलिस ने 14.03.2022 को यह इस्तगासा पेश किया है। इस न्यायालय में इस प्रकरण के दर्ज होने के बाद से यानी दिनांक 14.03.2022 से अभी तक पार्टी नं0 1 व 2 के मध्य पुनः विवाद व लडाई झगडा होने का कोई भी साक्ष्य/पुलिस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे यह न्यायालय यह प्रज्यूम करती है कि दोनों पक्षकारों के मध्य इस दौरान विवादित आराजी को लेकर कोई लडाई झगडा नहीं हुआ है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह साबित होता है कि पार्टी नं 1 व 2 के मध्य एक दो बार सामान्य लडाई झगडे हुऐ है। पार्टी नं0 1 ग्राम जिरोद के रहने वाले है जबकि पार्टी नं0 2 ग्राम सहरोद के रहने वाले है अर्थात दोनों पक्षकार अगल अलग गावों में निवास करते है एवं दोनों के बीच करीब 3–4 कि.मी. की दूरी है इसलिए दोनों पक्षों के मध्य कभी भी ऐसी लडाई होना प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है जिससे ग्राम जिरोद की शान्ती व्यवस्था भंग हुई हो। इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुऐ विवादित आराजी को रिसीवरी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सीआरपीसी की धारा 145 व 146 कि कार्यवाही के लिए सिर्फ विवाद होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि स्थानीय शान्ति व्यवस्था के भंग होने की प्रबल संभावना भी होनी चाहिए। दो पक्षों के मध्य सामान्य लडाई झगडे व गाली गलोच की स्थिति में पुलिस को सीआरपीसी के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया है कि शांन्ति भंग के सामान्य प्रकरणों में पुलिस को धारा 145 व 146 सीआरपीसी के स्थान पर धारा 107, 108, 122, 151 सीआरपीसी के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

18. धारा 145 सीआरपीसी के अधीन कार्यवाही करने/अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व धारा 145 की उपधारा 4 व 6 के अधीन न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार को समझना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है :–

Section 145(4) :– The Magistrate shall then, without reference to the marits or the claims of any of the parties, to a right to possess the subject of dispute, peruse the statements so put in, hear the parties, receive all such evidence as may be produced by them, take such further evidence, if any as he thanks necessary, and, if possible, decide whether and which of the parties was, at the date of the order made by him under Sub-Section (1), in possession of the subject of dispute;

Provided that if it appears to the Magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within two months next before the date on which the report of a police officer or other information was received by the Magistrate, or fater that date and before the date of this order under Sub-Section (1), he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under Sub-Section (1).

Section 145(6)– (a) If the Magistrate decides that one of the parties was, or should under the proviso to Sub-Section (4) be treated as being, in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession therof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction; and when he proceeds under the proviso to Sub-Section (4), may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed.

19. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों तथा सक्षम राजस्व न्यायालय में विवादित आराजी के स्वामित्व व अधिकारों के निर्धारण हेतु लंबित वाद संख्या 116/2021 मगनलाल बनाम निर्मल कुमार को ध्यान में रखते हुऐ, थानाधिकारी द्वारा पेश एवं इस्तगासा दर्ज इस्तगासा संख्या 01/2022 अन्तर्गत धारा 145, 146 सीआरपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर धारा 145 उपधारा 6(क) सीआरपीसी के अधीन अन्तिम आदेश जारी कर ग्राम जिरोद की विवादित आराजी ख0नं0 105 रकबा 2.44 है0, ख0नं0 108/721 रकबा 0.05 है0 किता 2 कुल रकबा 2.49 है0 पर पेश इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 व 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। थानाधिकारी अटरू को आदेशित किया जाता है कि शांन्ति भंग के सामान्य प्रकरणों में पुलिस धारा 145 व 146 सीआरपीसी के स्थान पर धारा 107/151 सीआरपीसी. के अधीन कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां